



छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड

(छ.ग.शासन का उपक्रम)

"बीज भवन", जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

☎ एवं 📠 - 0771-4046039

कं./बोर्ड/बी.प्र./एस-2/3/1/08-09/ 208

रायपुर दिनांक 11 APR 2008

परिपत्र


विषय :- खरीफ 2008 हेतु प्रदाय किये जाने वाले प्रमाणित बीज की विक्रय दर निर्धारण बाबत।

छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा खरीफ 2008 में प्रदाय किये जाने वाले प्रमाणित बीजों की विक्रय दर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

फसल	किस्म	खरीफ वर्ष 2008 में कृषकों हेतु विक्रय दर (रु. प्रति क्विंटल)
1	2	3
धान मोटा	एमटीयू.1001, दंतेश्वरी, बमलेश्वरी, महामाया	1050
धान पतला	पूर्णिमा, पूजा, तपस्वनी, एमटीयू.1010, शताब्दी, स्वर्णा, आई.आर.64, आई.आर.36, बी.पी.टी. 5204, मासुरी, बी.पी.टी.3291, कलिंगा, राशि, नरेन्द्र 97, पद्मनी	1100
मक्का	समस्त किस्में	1200
कोदो	समस्त किस्में	2200
सेयाबीन	समस्त	2350
रामतिल	समस्त	3750
तिल	समस्त	6700
मूंगफली	समस्त	3500
अरहर	समस्त	3700
मूंग	समस्त	4000
डडद	समस्त	3400
सनई	-	2960
ढेचा	-	1735

- 1) उपरोक्त निर्धारित विक्रय दरें, कृषकों हेतु होगी।
- 2) उपरोक्त अनुसार कृषकों हेतु निर्धारित विक्रय दर के अनुसार समितियों में भंडारण एवं वितरण करने पर देय 8 प्रतिशत कमीशन राशि प्रक्रिया प्रभारी द्वारा मूल बिल राशि से काटकर समितियों से प्राप्त किया जावेगा।

- 1) उपरोक्त निर्धारित विक्रय दरें, कृषकों हेतु होगी ।
- 2) उपरोक्त अनुसार कृषकों हेतु निर्धारित विक्रय दर के अनुसार समितियों में भंडारण एवं वितरण करने पर देय 8 प्रतिशत कमीशन राशि प्रकिया प्रभारी द्वारा मूल बिल राशि से काटकर समितियों से प्राप्त किया जावेगा ।
- 3) उपरोक्त विक्रय दरें विभिन्न फसलों की अलग-अलग किस्मों में देय अनुदान घटाकर निर्धारित की गई है । वितरित बीज के विरुद्ध अनुदान की राशि कृषि विभाग द्वारा देय होगी ।
- 4) कृषि विभाग की योजनाओं में जो बीज वितरण किया जावेगा, उसमें अनुदान की राशि विक्रय दर के अलावा देय होगी ।
- 5) आधार बीजों की विक्रय दर प्रमाणित बीज की विक्रय दर से 50/- रु. प्रति क्विंटल अधिक होगी ।
- 6) डी.डी./आर.ओ. प्राप्त होने के उपरांत ही समितियों में बीज भण्डारण किया जावे ।


(ए.एन.मिश्रा) 11/04/08
प्रबंध संचालक
रायपुर दिनांक

पृ. कं./बोर्ड/बी.प्र./एस-2/3/1/08-09/
प्रतिलिपि :-

- 1) निज सहायक, माननीय कृषि मंत्री, छ.ग.शासन की ओर सूचनार्थ ।
- 2) निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ.ग.रा.बी.एवं कृ.वि.नि.लि. रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
- 3) निज सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त/प्रमुख सचिव कृषि, छ.ग.शासन को सूचनार्थ ।
- 4) सचिव कृषि छ.ग.शासन को सूचनार्थ ।
- 5) संचालक कृषि, छ.ग.शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 6) प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ रायपुर को सूचनार्थ ।
- 7) पंजीयक, सहकारी संस्थायें मर्यादित रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
- 8) कलेक्टर जिला.....(समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9) प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 10) प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
- 11) प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था लभाण्डी रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
- 12) आंचलिक प्रबंधक, कृषि रायपुर/बिलासपुर/बस्तर संभाग की ओर सूचनार्थ ।
- 13) उपसंचालक कृषि जिला(समस्त) ।
- 14) जिला विपणन अधिकारी, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ(समस्त) की ओर सूचनार्थ ।
- 15) जिला प्रबंधक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक(समस्त) की ओर सूचनार्थ ।
- 16) जिला प्रबंधक, छ.ग.रा.बी.एवं कृ.वि.नि.लि.(समस्त) ।
- 17) प्रकिया केंद्र प्रभारी, छ.ग.रा.बी.एवं कृ.वि.नि.लि.(समस्त) ।
- 18) कार्यालयीन लेखा शाखा/बीज दर निर्धारण नस्ती ।
- 19) प्रबंधक, छ.ग. संवाद रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रबंध संचालक



छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड
"बीज भवन", जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

☎ एवं ☎- 0771-4046039

कं./मुख्या./एस-3/ /08-09/ 602 दिनांक 14/5/08

//आदेश//

000

राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन के अंतर्गत धान की 15 वर्ष के भीतर की अधिसूचित किस्में जैसे एम.टी.यू. 1010 एम.टी.यू. 1001, महामाया, पूर्णिमा, दंतेश्वरी, बी.पी.टी. 3291, शताब्दी, इंदिरा-9 एवं तपशिवनी किस्मों पर 100 रु. प्रति क्विंटल अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

यह आदेश राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन के अंतर्गत आने वाले राज्य के 10 जिले जैसे रायपुर, राजनादगांव, कबीरधाम, रायगढ़, जशपुर, जांजगीर, कोरवा, सरगुजा, कोरिया एवं दंतवाड़ा के लिये प्रभावशील होगा।

14/05/08

(ए.एन.मिश्रा)
प्रबंध संचालक

पृ.कं./मुख्या./एस-3/ /08-09/ 603 दिनांक 14/5/08
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, माननीय कृषि मंत्री, छ.ग.शासन की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ.ग.रा.बी.एवं कृ.वि.नि.लि. रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. निज सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त / प्रमुख सचिव कृषि, छ.ग.शासन को सूचनार्थ।
4. सचिव कृषि, छ.ग.शासन को सूचनार्थ।
5. संचालक कृषि, छ.ग.रा. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रबंध संचालक, छ.ग.रा.सहकारी विपणन संघ, रायपुर को सूचनार्थ।
7. पंजीयक, सहकारी संस्थायें मर्यादित, रायपुर को सूचनार्थ।
8. कलेक्टर जिला..... (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. प्रबंध संचालक, छ.ग.रा.सहकारी कृषि विपणन बोर्ड, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
11. प्रबंध संचालक, छ.ग.रा.सहकारी बीज प्रमाणीकरण संस्था, लमाण्डी, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
12. आंचलिक प्रबंधक, कृषि, रायपुर/बिलासपुर/बस्तर संभाग की ओर सूचनार्थ।
13. उप संचालक कृषि, जिला..... (समस्त)
14. जिला विपणन अधिकारी, छ.ग.रा.सहकारी विपणन संघ..... (समस्त)
15. जिला प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक..... (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
16. जिला प्रबंधक, छ.ग.रा.बी.एवं कृ.वि.नि.लि..... (समस्त)।
17. प्रक्रिया केन्द्र प्रभारी, छ.ग.रा.बी.एवं कृ.वि.नि.लि. जोरा/ राजनादगांव/ कवर्धा/ बोईरवादर/खोखसा / अजिरिका / कोकामुंडा को भेजकर लेख है कि जो भी राष्ट्रीय खाद सुरक्षा मिशन अनुसार उपरोक्तनुसार दर्शाये गये जिलों में एवं धान प्रजातियों पर 100/- रु. प्रति क्विंटल निगम द्वारा स्वीकृत विक्रय दर से कम कर विक्रय एवं बिलिंग की जावे।
18. कार्यालयीन लेखा शाखा/ बीज दर निर्धारण नस्ती।
19. प्रबंधक, छ.ग.रा.संवाद, रायपुर की ओर सूचनार्थ।

14/05/08

प्रबंध संचालक



छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड
"बीज भवन", जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

फोन एवं टेली- 0771-4046039

कं./मुख्या./एस-2/3/07-08/ 626

दिनांक: 15.5.08

//परिपत्र//

संदर्भित परिपत्र क्रमांक 208 दिनांक 11.4.08 एवं संदर्भित पत्र क्रमांक 517 दिनांक - 12.5.08 द्वारा प्रसारित की गई खरीफ 2008 हेतु बीजों की विक्रय दरों में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य के समस्त जिलों हेतु निम्नानुसार खरीफ बीजों की विक्रय दरें प्रसारित की जाती हैं :-

फसल	किस्म	वृषकों हेतु सशोधित विक्रय दरें (रु. प्रति क्विंटल)
धान मोटा	एमटीयू-1001, दतेश्वरी, बन्लेश्वरी, महामाया,	1008
धान मोटा	स्वर्ण	1056
धान पतला	पुर्णिमा, पूजा, तपस्वती, एमटीयू-1010, शताब्दी, आईआर64, आईआर 36, बीपीटी-5204, मासुरी, बीपीटी-3291, कलिंगा, राशि, नरेन्द्र-97, पद्ममनी	1056
मक्का	समस्त किस्में	1152
कोदो	समस्त किस्में	2112
सोयाबीन	समस्त किस्में	2256
रामतिल	समस्त किस्में	3600
तिल	समस्त किस्में	6432
मूंगफली	समस्त किस्में	3360
अरहर	समस्त किस्में	3552
मूंग	समस्त किस्में	3840
उड़द	समस्त किस्में	3264

- 1) उपरोक्त निर्धारित विक्रय दरें कृषकों हेतु होगी ।
- 2) उपरोक्तानुसार कृषकों हेतु निर्धारित विक्रय दर के अनुसार समितियों में भंडारण एवं वितरण करने पर 4 प्रतिशत कमीशन राशि प्रक्रिया प्रभारी द्वारा मूल विल राशि से काटकर समितियों से प्राप्त की जावेगी ।
- 3) उपरोक्त विक्रय दरें विभिन्न फसलों की अलग-अलग किस्मों में देय वितरण अनुदान की राशि कृषि विभाग द्वारा देय होगी ।
- 4) कृषि विभाग की योजनाओं में जो बीज वितरण किया जावेगा, उसमें अनुदान की राशि विक्रय दर के अलावा देय होगी ।
- 5) आधार बीजों की विक्रय दर प्रमाणित बीज की विक्रय दर से 50/- रु. प्रति क्विंटल अधिक होगी ।
- 6) डी.डी./आर.ओ. प्राप्त होने के उपरांत ही समितियों में बीज भंडारण किया जा सकेगा ।
- 7) समितियों में वितरण के पश्चात् जो बीज शेष बचेगा उसे निगम द्वारा वापस प्राप्त नहीं लिया जावेगा ।

(ए.एन.मिश्रा) 16/5/08

पृ. क्र./मुख्या./एस-2/3/07-08/ 627

दिनांक: 15.5.08

प्रतिलिपि :-

- 1) निज सहायक, माननीय कृषि मंत्री, छ.ग.शासन की ओर सूचनार्थ ।
- 2) निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि. रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
- 3) निज सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव कृषि, छ.ग. शासन को सूचनार्थ ।
- 4) सचिव कृषि, छ.ग. शासन को सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
- 5) पंजीयक सहकारी संस्थायें मर्यादित रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
- 6) संचालक कृषि, छ.ग. शासन की ओर सूचनार्थ ।
- 7) कलेक्टर जिला (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 9) प्रबंध संचालक, अपैक्स बैंक रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 10) प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
- 11) आंचलिक प्रबंधक, कृषि, रायपुर/विलासपुर/बस्तर संभाग की ओर सूचनार्थ ।
- 12) उप संचालक कृषि(सर्व) की ओर सूचनार्थ ।
- 13) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक(सर्व) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 14) जिला प्रबंधक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम सर्व की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 15) प्रकिया केन्द्र प्रभारी, छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि. सर्व की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
- 16) कार्यालयीन लेखा शाखा / बीज दर निर्धारण नस्ती ।

(ए.एन.मिश्रा) 16/5/08
प्रबंध संचालक